

**न्यायालय:अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-300829 / 2010

संस्थित दिनांक-27.10.2010

फाइलिंग क्र. 234503000312010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-रजयसिंह पिता उदबलसिंह, उम्र-50 वर्ष,
निवासी-ग्राम शीतलपानी, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-बिदेसिंह पिता रजयसिंह, उम्र-30 वर्ष,
निवासी-ग्राम शीतलपानी, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-03/05/2017 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34, 452 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-24.09.2010 को सुबह 9:00 बजे, ग्राम शीतलपानी, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहत उजियारसिंह को सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की, फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से भय में डालने की तैयार करके गृह अतिचार किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-24.09.2010 को फरियादी उजियारसिंह ने थाना मलाजखण्ड आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम शीतलपानी रहता है तथा कृषि कार्य करता है। वह करीब 15 वर्ष से अपने बड़े भाई रजयसिंह गोंड से अलग रहता है और उसका रजयसिंह के साथ बैहर न्यायालय में जमीन के बंटवारे के लेकर मामला चल रहा है। उक्त दिनांक को सुबह 9:00 बजे, उसका

बड़ा भाई रजयसिंह, भतीजा बिदेसिंह उसके घर के अंदर आए और जमीन के विवाद को लेकर उसे माँ-बहन चोदू की गंदी-गंदी गालियां देकर लाठी से उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे उसकी बाएँ हाथ की हड्डी टूट गई। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-84/10 अंतर्गत धारा-294, 323, 452, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर साक्षियों के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आहत उजियारसिंह की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने से आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-325 का ईजाफा किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय समक्ष पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34, 452 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा है। आरोपीगण ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव देना व्यक्त कर साक्षी अजमेरसिंह का परीक्षण कराया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1- क्या आरोपीगण ने दिनांक-24.09.2010 को सुबह 9:00 बजे, ग्राम शीतलपानी, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत उजियारसिंह को सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

3- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से भय में डालने की तैयार करके गृह अतिचार किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 का निष्कर्ष :-

5- परिवादी उजियारसिंह (अ.सा.1) का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य देने से करीब पांच-छः माह पूर्व सुबह आठ से नौ बजे उसके घर की है। आरोपीगण से उसका मेढ़-बाड़ी को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसके घर

पर आकर मारपीट की थी। आरोपी रजयसिंह उसे गंदी-गंदी गालियां दे रहा था जो उसे सुनने में अच्छी नहीं लगी थीं। जहां पर गालियां दी गयी थीं वहां से आने-जाने का रास्ता सौ कदम की दूरी पर है। साक्षी द्वारा उक्त अपराध के संबंध में आरोपी विदेसिंह के विरुद्ध कोई कथन नहीं किये गये हैं तथा अन्य साक्षी सुशीला (अ.सा.2) ने उसके कथन में अभियुक्तगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित करने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। परिवादी उजियारसिंह (अ.सा.1) द्वारा घटना उसके घर की होना व्यक्त कर लोकमार्ग से सौ कदम की दूरी पर होने के कथन किये हैं। मौकानक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल परिवादी का घर होना दर्शित है परंतु मौकानक्शा में घटनास्थल की लोकमार्ग से दूरी दर्शित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अन्य साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि घटनास्थल लोक स्थान के समीप है। केवल अश्लील गालियां धारा-294 भा.दं0सं0 का अपराध गठित नहीं करती। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत- शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता 2005(4) एम.पी.एल.जे.330, अवलोकनीय है। आरोपी विदेसिंह के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध साक्ष्य से धारा-294 भा.दं0सं0 के अपराध का गठन नहीं होता। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी को लोक स्थान अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02 एवं 03 का निष्कर्ष :-

6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी उजियारसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपी रजयसिंह उसका बड़ा भाई है और आरोपी विदेसिंह उसका भतीजा है। घटना उसके बयान देने के 5-6 माह पूर्व सुबह 8-9 बजे की, उसके घर की है। दोनों आरोपीगण उसके घर के अंदर लकड़ी लेकर आए और उसके बाएं हाथ की कोहनी पर, सिर पर व अन्य भाग पर मारपीट की, जिससे वह नीचे गिर गया। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से उसका बायां हाथ टूट गया था। आरोपीगण से उसका पूर्व में मेढ़-बाड़ी को लेकर विवाद हुआ था, जिस बात को लेकर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी रजयसिंह उसे गंदी-गंदी गालियां दे रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लग रही थी। आरोपीगण ने जहां गालियां दी, वहां से आने-जाने का रास्ता करीब 100 कदम की दूरी पर है। उसने घटना के संबंध में थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेख कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिसवालों ने उसे बिरसा एवं मोहगांव अस्पताल ले गए थे, जहां उसका ईलाज नहीं करने पर पुलिसवाले उसे बालाघाट अस्पताल ले गए थे। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था, जिसका मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिसके अ से अ भाग

पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

7— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से साक्षी के कथनों की पुष्टि होती है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी द्वारा आरोपीगण से जमीन विवाद के न्यायालय में लंबित होने के कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में न्यायालय में कोई विवाद नहीं होने के कथन किये हैं। परंतु इसी कंडिका में साक्षी द्वारा हर वर्ष मेढ़ बांधने को लेकर वाद विवाद होने के कथन किये हैं जिससे घटना का हेतुक दर्शित होता है। साक्षी की साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है जिससे अभियुक्त को दिनांक तथा समय को लेकर मामूली लोपो का लाभ प्राप्त नहीं होता। मौकानक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल आहत का घर होने की पुष्टि होती है। घटना के संबंध में परिवादी की साक्ष्य अखण्डनीय है जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुशीलाबाई (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी रजयसिंह उसका जेठ है और आरोपी बिदेसिंह, रजेसिंह का लड़का है तथा आहत उजियारसिंह उसका पति है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व गणपति के समय की है। आरोपी रजयसिंह एवं आहत उजियारसिंह की आंगन के बीच में दो-दो बात हुई थी, जिसके बाद उजियारसिंह अपने घर के अंदर आ गया था। उक्त घटना के दूसरे दिन सुबह 7-8 बजे दोनों आरोपीगण लकड़ी लेकर आए और उनके घर के अंदर घुसकर उजियारसिंह को लकड़ी से मारपीट करने लगे। आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने से उजियारसिंह के बायें हाथ में फ्रेक्चर हो गया था और अन्य चोटें आई थी। विवाद होने के पश्चात् वह आहत को लेकर थाना गई थी, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में साक्षी ने कहा है कि विवाद होने के पश्चात् जब उसे पता चला तो वह भी आरोपीगण की बाड़ी जहां मेढ़ बांध रहे थे वहां गयी थी। घर के सामने आंगन में जो खुला हुआ है, वहां पर लामाझूमी हुई थी। उसका पति वहां पर बेहोश होकर गिर गया था और गिरने से हाथ तथा सिर पर चोटें आयी थीं। वह अपने पति के साथ थाना गयी थी। कंडिका-6 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के पीछे बाड़ी में थी जिस कारण आरोपीगण द्वारा कहां-कहां मारा गया वह नहीं देख पायी। उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने भी घटनास्थल घर का आंगन होना व्यक्त किया है। साक्षी की साक्ष्य से झगड़े के पश्चात् के तथ्यों की पुष्टि होती है।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस. उइके अ. सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-24.09.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक दादूराम पटले क्रमांक-439 द्वारा आहत उजियारसिंह पिता उदलसिंह, उम्र-41 वर्ष, निवासी-ग्राम शीतलपानी को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर तीन चोटें पाई थी। साक्षी के मतानुसार आहत को आई सभी चोटें किसी सख्त व बोथरी वस्तु से पहुंचाना प्रतीत हो रही थी, जिसमें चोट क्रमांक-1 व 2 साधारण प्रकृति की थी और चोट क्रमांक-3 के लिए उसने आहत को एक्सरे एवं अस्थिरोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी थी। आहत को आई चोटें उसके परीक्षण करने के 2 से 4 घंटे के भीतर की थी, जिनकी तीन से सात दिन के अंदर ठीक होने की संभावना थी। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत को चोटें आना दर्शित है।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी डॉक्टर डी.के. राउत अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-08.10.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-27.09.2010 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत उजियारसिंह के बाएं हाथ, भुजा तथा बांयी हथेली का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-4186 था। आहत को डॉ. एल.एन.एस. उइके ने एक्सरे हेतु रेफर किया था, जिसे आरक्षक सुलेखा क्रमांक-822 ने एक्सरे हेतु लाया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के बाएं हाथ की ह्यूमरस हड्डी के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था तथा बाएं हाथ की पांचवीं मेटाकार्पल हड्डी एवं छोटी अंगुली की मध्यस्थ फेलिंग्स हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत को घोर उपहति होना प्रमाणित होता है।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अमरिताबाई (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी रजयसिंह उसका भाई है एवं बिदेसिंह भतीजा है तथा आहत उजियारसिंह भी उसका भाई है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व सुबह 8-9 बजे की है। रजयसिंह एवं उजियारसिंह का जमीन को लेकर विवाद हो रहा था। उसने घटना होते हुए नहीं देखी और न ही किसी को मारते हुए देखा। उसके सामने किसी ने किसी को गाली-गलौज नहीं की और न ही मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा

साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रजयसिंह ने उजियारसिंह के घर के अंदर घुसकर माँ-बहन की गाली दी थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने उजियारसिंह को लाठी से मारपीट की थी, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह उजियारसिंह के बगल में रहती है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। वाद विवाद आरोपीगण और आहत के घर के सामने हुआ था जिसके बाद दोनों अपने घर चले गये थे। आरोपीगण उजियारसिंह के घर में नहीं घुसे थे। उजियारसिंह को बाथरूम में गिर जाने के कारण चोट आयी थी। उजियारसिंह बहुत शराब पीता है जिसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी थी।

12— आरोपीगण की ओर से परीक्षित अजमेरसिंह (ब.सा.1) का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य देने के करीब छः वर्ष पूर्व सुबह के समय आरोपीगण के घर के पास की है। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि आरोपीगण एवं उजियारसिंह के बीच गाली-गलौच हो रहा था। जिसमें बीच-बचाव कर उसने दोनों को समझाया जिसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गये। आरोपीगण ने उजियारसिंह को नहीं मारा था। साक्षी अमरिताबाई (अ.सा.3) तथा अजमेरसिंह (ब.सा.1) के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य से घटना के समय आहत की चोटों की पुष्टि होती है। तथापि साक्षीगण की साक्ष्य से घटना के समय आरोपीगण और आहत के मध्य विवाद होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

13— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी प्रेमसिंह अ.सा.5 एवं साक्षी मोतीलाल अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वे आरोपीगण को जानते हैं, जो उनके गांव के ही हैं। उनके समक्ष पुलिस ने आरोपी रजयसिंह से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष आरोपी रजयसिंह द्वारा लाठी रोड में फेंकने बाबद् कोई तलाशी नहीं की गई थी, किन्तु तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-6 पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफ्तारीपत्रक प्रदर्श पी-7 व 8 पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने उनके समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार आरोपी रजयसिंह से लाठी जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस ने उनके समक्ष तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था और आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने

कहा है कि पुलिसवालों ने थाने में उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, उसमें क्या लिखा था, पुलिसवालों ने उन्हें पढ़कर नहीं बताया था और न ही उसने पढ़कर देखा था।

14— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी मोहन अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-24.09.2010 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक मोहररि के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी उजियारसिंह के बताए अनुसार अपराध क्रमांक-84/10, अंतर्गत धारा 294, 323, 452/34 भा.द.वि. के आरोप में आरोपी रजयसिंह, बिदेसिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

15— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजेन्द्र सिलेवार अ.सा.9 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-24.09.2010 को प्रधान आरक्षक के पद पर थाना मलाजखण्ड में पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-84/10 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा धारा-294, 323, 452, 34 भा.द.सं. के अंतर्गत उजियारसिंह की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने साक्षी उजियारसिंह, सुशीला, अमरिताबाई के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-25.09.2010 को रजयसिंह से साक्षी मोतीलाल व प्रेमचंद के समक्ष एक लाठी प्रदर्श पी-5 अनुसार जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को ही बिदेसिंह की निशानदेही पर तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। यद्यपि साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा.5) तथा मोतीलाल (अ.सा.6) ने जप्ती प्र.पी.05 तलाशी प्र.पी.06 तथा गिरफ्तारी प्र.पी.07 एवं 08 की कार्यवाही से इंकार किया है। तथापि विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है। जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है और न ही साक्षी का आरोपीगण से कोई विद्वेष दर्शित है।

16— अभियुक्तगण को परिवादी उजियारसिंह द्वारा कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो ऐसा दर्शित नहीं है क्योंकि अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मेढ़ बांधने को लेकर हर वर्ष अभियुक्तगण तथा परिवादी के बीच विवाद होता है। अभियुक्तगण ने परिवादी को उक्त चोटें स्वेच्छया कारित की, यह घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

17— उजियारसिंह (अ.सा.1) की साक्ष्य उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्टि, चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी की चोटों की पुष्टि, सुशीलाबाई (अ.सा.2) की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की पुष्टि से यह युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर परिवादी को उपहति कारित करने के आशय से तैयारी करके गृह अतिचार किया और उसे लाठी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

18— मेढ़ बांधने के विवाद उपरांत अभियुक्तगण द्वारा जिस प्रकार परिवादी को घर में घुसकर घटना कारित की गयी उससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में घटना की गयी।

19— साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप अभियुक्त रजयसिंह तथा विदेसिंह को धारा-294 भा.दं०सं० के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। परंतु धारा-452 तथा 325 भा.दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

20— दण्ड के बिंदु पर अभियुक्तगण को सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित एवं
न्यायालय में घोषित।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

21— दण्ड के बिंदु पर अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि वे प्रथम अपराधी हैं। प्रकरण विगत सात वर्षों से न्यायालय में लंबित है। अतः उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जावे। तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण वर्ष 2010 से न्यायालय में लंबित है जिसमें अभियुक्तगण उपस्थित होते रहे हैं। घटना पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर हुई है परंतु अभियुक्तगण द्वारा जिस प्रकार घर में घुसकर घटना कारित की गयी है उसे देखते हुए उन्हें अपराधि परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभियुक्तगण को समुचित दण्ड दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

22— अतः अभियुक्तगण रजयसिंह पिता उदबलसिंह तथा बिदेसिंह पिता रजयसिंह

को धारा-452 भा.दं०सं० में दोषी पाकर छः माह के साधारण कारावास एवं 1,000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड तथा धारा-325/34 भा.दं०सं० में दोषी पाकर छः माह के साधारण कारावास एवं 1,000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि हेतु एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण भुगताया जावे। दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी।

23- अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा-357(1)(बी) दं.प्र.सं. के तहत परिवादी उजियारसिंह को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

24- प्रकरण में अभियुक्त रजयसिंह दिनांक 03.11.15 से दिनांक 26.11.15 तक अभिरक्षा में रहा है जबकि अभियुक्त बिदेसिंह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक् से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

25- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

26- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

27- अभियुक्तगण को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं०प्र०सं० के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट